केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान / Autonomous body under Ministry of Education, Govt. of India
क्षेत्रीय कार्यालय / REGIONAL OFFICE
E-Mail : dckvsrobhopal@gmail.com
Website : https://robhopal.kvs.gov.in/

☎ 0755 – 2550728 (DC)
2551678 (ACs)
2551699 (AO / FO)
Fax : 0755 – 2553126
मैदा मिल के सामने,
भोपाल – 462 011 (म.प्र.)
Opposite Maida Mill,
Bhopal – 462 011 (M.P.).

फा.27-1/2024/आई.सी.सी./के.वि.सं./भोपाल/ 13712

दिनांक : 21.01.2025.
स्पीड पोस्ट / ई-मेल द्वारा

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक फा.11-55/2000-केविसं(सतर्कता)/पार्ट-I दिनांक 03.06.2015 एवं आदेश क्रमांक फा.11-55/2000-केविसं(सतर्कता)/पार्ट-I/1122-25 दिनांक 05.03.2019 के आलोक में दिनांक 09.12.2013 से लागू "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013" की धारा–4(2) के अन्तर्गत निहित प्रावधानों और दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निपटान से संबंधित इस कार्यालय के आदेश क्रमांक फा.27-1/2024/आई.सी.सी./के.वि.सं./भोपाल/6942-49 दिनांक 16.08.2024 के द्वारा पूर्व में गठित समिति में आंशिक संशोधन करते हुए "आंतरिक शिकायत समिति" (Internal Complaint Committee) का पुनर्गठन किया जाता है।

क्र.	समिति में धारित पद	सदस्यों के नाम एवं पदनाम पता सहित	Jurisdiction
1.	Presiding Officer	Smt. Nirmala Budania, Assistant Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Bhopal Phone No. : 0755 – 2551678	To inquire into the complaints of sexual harassment at work place against the officials at the Regional Office up to the level of Section Officer (excluding Finance Officer) and against Principals, Vice Principals & HMs of Bhopal Region.
2.	Female Member	Smt. Puja Shrivastava, Principal, Kendriya Vidyalaya, Sehore Phone No. : 07562 – 224410 / 225888	
3.	Male Member	Shri Gaurav Kumar Dwivedi, Principal, Kendriya Vidyalaya No. 1, Bhopal Phone No. 0755 – 2551640	
4.	NGO Member	Smt. Rita Tuli, Member of All India Women Counselling, 8/8, Amaltas Complex, Near Manisha Market, Shahpura, Bhopal – 462 016 Phone No. : 9827013022	

टिप्पणी :- 1. पीठासीन अधिकारी एवं समिति के संदस्यों का कार्यकाल आदेश जारी होने से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।

2. सभी स्तरों पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन इस आधार पर किया जायेगा, जिससे कि गठित की गई समिति में नामित सदस्यों में से आधे सदस्य महिलायें होंगी।

3. "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" / "Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013" के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समिति अधिनियम में परिभाषित प्रकृति की शिकायतों की जॉच सख्ती के साथ निर्धारित कालानुक्रम एवं प्रक्रिया द्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाये।

(आर. सेन्दिल कुमार)
उपायुक्त

वितरण :-

1. पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सभी सदस्य।
2. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन / शैक्षिक) / मुख्य सतर्कता अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली।
3. उपायुक्त / निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय / आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।
4. सहायक आयुक्त (सतर्कता), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली।
5. प्राचार्य, समस्त केन्द्रीय विद्यालय, भोपाल संभाग को इस निदेश के साथ कि आदेश को विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों/ कर्मचारियों की जानकारी में लाने हेतु परिचालित करते हुए नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें। संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली के आदेश दिनांक 05.03.2019 (संगठन की बेबसाईट पर उपलब्ध) अनुसार विद्यालय स्तर पर आतंरिक शिकायत समिति का कार्यकाल पूर्ण होने पर पुर्नगठित करने संबंधित उचित कार्यवाही भी करना सुनिश्चित करें ।
6. पी.ए. प्रकोष्ठ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त आदेश को क्षेत्रीय कार्यालय की बेबसाईट पर अपलोड करायें।
7. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों में परिचालानार्थ ।
8. नोटिस बोर्ड / परिपत्र पत्रावलि ।